यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

ाठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व वाद संख्या : 46/2020
CMS NO. : 2020/00128

-:: वादीगण ::-
1. अशोक नाथ पुत्र ऊंकारनाथ
2. अर्जुन नाथ पुत्र ऊंकारनाथ
जातियान- नाथ निवासीगण- बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-
1. पुखनाथ पुत्र शिवनाथ
2. देवेन्द्रनाथ पुत्र शिवनाथ
जातियान- नाथ निवासीगण- बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज।

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

तारीख रजू:.30/07/2020

परिस्थितः-

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक :- 02/02/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा न्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध तिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी ातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बांझाकुड़ी, पटवार हल्का- ांझाकुड़ी, तहसील- जैतारण जिला- पाली में स्थित खसरा नम्बर 1039 रकबा 02 ीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसके वक्त सेटलमेन्ट के मय काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा अमरनाथ वल्द माधुनाथ जी थे। नके देहान्त के उपरान्त जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के उक्त भूमि वादीगण के पिता ऊंकार ाथ जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई रही एवं मौके पर भी ऊंकार नाथ का हक धिकार चला था। तन्दुपरान्त ऊंकार नाथ का देहान्त हो जाने पर जरिये फौतेदगी यूटेशन उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व मौके पर भी वादीगण ा कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि े विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा तथा इस भूमि के मिसल बन्दोबस्त व र्तमान चौसाला जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या 01 में र्णित खसरा नम्बर की इस विवादित भूमि के एक मात्र रेकर्डेड काबिज खातेदार ाश्तकार ही है तथा वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का स विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा एवं अधिकार नही होने के ावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के इस विवादित भूमि पर किये जाने वाले ब्जे काश्त की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा व ... करने पर आमादा है। वादीगण ोनो ही राजकीय सेवा में पदस्थापित ... प्रतिवादीगण अपने परिवार की ौरतों को आगे करते हुये उनके ... की कुचेष्टा कर रहे ... तथा मौके र विवाद होने की सूरत में वादीगण को झूठे मुक... में फसाने की धमकियां भी देते ै। जबकि विवादित भूमि निर्विवाद रूप से वादीगण की ही है। इस प्रकार इस वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhasker Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

लाई माह में बारिश होने पर वादीगण ने तिल्ल की फसल बोई तन्दुपरान्त दिनांक नांक 16.07.2020 को मौके पर वादी अशोक नाथ मौके पर गया तो प्रतिवादीगण विवाद करते हुये वादीगण के हक हिस्से की इस विवादित भूमि पर पत्थर डलवाकर ब्जा करने का प्रयास किया जो समझाईश के उपरान्त भी नही मान रहे है। इस कार से यदि प्रतिवादीगण अपने इस दुष्कृत्य में सफल होकर वादीगण को कब्जे काश्त ी भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है, तो वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से मेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है, साथ ही वादीगण इस विवादित भूमि के म्बन्ध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा वं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी, तथा प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.07.2020 को ी मौके पर लड़ाई- झगड़ा व विवाद किया है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में ादीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 16.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने एवं जबरदस्ती वादीगण की कब्जासुदा व हकसुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेने के ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बांझाकुड़ी, तहसील- जैतारण जिला- पाली में पैदा हुआ जो अंदर मियाद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण का बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई एवं इस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं विधिक प्रावधानो का अध्ययन व अवलोकन किया । प्रकरण का विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूध्द प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बांझाकुड़ी तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1039 रकबा 2-05 बीघा वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी वक्त सेट्लमेंट से वादीगण के दादा अमरनाथ वल्द माधुनाथ व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण के पिता उंकारनाथ एवं इनके देहान्तोपरान्त वादीगण के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नही होने पर भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है, वादीगण राजकीय सेवा में पदस्थापित है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण [illegible] कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील रहते है और यदि प्रतिवादीगण ऐसा [illegible] में सफल हो जाते तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई [illegible] से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे [illegible]त एवं उपयोग उपभोग में स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य या हाली एजेण्ट रिश्तेदार आदि के माध्यम से कोई दखल अन्दाजी नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम बांझाकुड़ी की वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी संवत 2069-2072 एवं प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के अनुसार उंकारनाथ पुत्र अमरनाथ खातेदार दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त ग्राम बांझाकुड़ी संवत् 2011-2030 के अनुसार खसरा संख्या 1039 अमरनाथ वल्द माधुनाथ की खुदकाश्त दर्ज है। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र pw1 में वादी अशोकनाथ द्वारा वादपत्र में अंकित कथनो का शपथ पत्र पर समर्थन किया है।

3. चूंकि वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त से निरन्तर वादी के दादा पिता एवं वादीगण के नाम दर्ज रही है तथा प्रत्येक अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि को अतिक्रमण एवं विधिविरूध्द दखल अन्दाजी को रूकवाने का अधिकार रखता है अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबितं होनें एवं सारवान् होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वश्त निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से वादीगण की खातेदारी आराजी तहसील जैतारण के ग्राम बांझाकुड़ी के खसरा संख्या 1039 रकबा 2-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल के उपयोग उपभोग, काश्त आदि में दखल अन्दाजी न करे, अतिक्रमण न करे। वादपत्र इसी मुताबिक विरूध्द प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 02/02/2022 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज **अदालत** :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगणः–
1. अशोक नाथ पुत्र ऊंकारनाथ 2. अर्जून नाथ पुत्र ऊंकारनाथ जातियान– नाथ निवासीगण– बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।		1. पुखनाथ पुत्र शिवनाथ 2. देवेन्द्रनाथ पुत्र शिवनाथ जातियान– नाथ निवासीगण– बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।

जस्व वाद बाबत् स्थाई
षेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

मु0न0 :रा0वा0 स0: 46/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व ाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह ेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार कर विरुद्ध तिवादीगण एवं वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वश्त नेषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली जेण्ट के माध्यम से वादीगण की खातेदारी आराजी तहसील जैतारण के ग्राम बांझाकुड़ी के खसरा संख्या 1039 रकबा 2–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल के उपयोग उपभोग, काश्त आदि में दखल अन्दाजी न करे, अतिक्रमण न करे। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/02/2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण जिला पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत [illegible] हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुतफरिक	
मिजानः–	05-00	मिजानः	–Nil–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।